सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास
उत्तराखण्ड

पूर्व सैनिकों/सैनिक विधवाओं एवं आश्रितों को राज्य सरकार/ उत्तराखण्ड सैनिक पुनर्वास संस्था/ केन्द्र सरकार द्वारा देय सुविधायें।

ले कर्नल डी एस थापा, परमवीर चक्र

नायक दरवान सिंह, विक्टोरिया क्रास

आनरेरी कप्तान गजे सिंह घाले,
विक्टोरिया क्रास

रा0मै0 गबर सिंह, विक्टोरिया क्रास
(मरणोपरान्त)

नायक भवानी दत्त जोशी, अशोक चक्र
(मरणोपरान्त)

कप्तान उमेद सिंह, अशोक चक्र
(मरणोपरान्त)

हवलदार गजेन्द्र सिंह बिष्ट अशोक चक्र
(मरणोपरान्त)

हवलदार बहादुर सिंह बोहरा, अशोक चक्र
(मरणोपरान्त)

नायक मोहन गोस्वामी, अशोक चक्र
(मरणोपरान्त)

उत्तराखण्ड़ में सैन्य सेवा एक गौरवमयी परम्परा है, न कि मात्र जीवन निर्वाह का साधन ।

विवरणिका – एक नजर

1. **पंजीकृत पूर्व सैनिक एवं विधवायें :–**
(अगस्त 2021 तक पंजीकृत)

(क)	पूर्व सैनिक	1,37,003
(ख)	विधवायें (1,207 जीवित युद्ध विधवाओं सहित)	47,464
	कुल योग	**1,84,467**

2. **पंजीकृत पूर्व सैनिक एवं विधवाओं का जिलेवार विवरण**

क0 स0	जिला	पूर्व सैनिक				विधवायें				कुल योग
		सेना	वायु सेना	नौ सेना	कुल योग	सेना	वायु सेना	नौ सेना	कुल योग	
कुमांऊ मण्डल										
1.	अल्मोड़ा	9350	247	125	9722	4623	36	50	4709	14431
2.	बागेश्वर	7763	76	51	7890	3621	19	17	3657	11547
3.	चम्पावत	3605	30	23	3658	1316	6	6	1328	4986
4.	पिथौरागढ़	17713	211	98	18022	8321	30	22	8373	26395
5.	नैनीताल	12308	340	341	12989	3391	99	79	3569	16558
6.	उधमसिंह नगर	8196	110	109	8415	2555	10	18	2583	10998
कुल कुमांऊ मण्डल		**58935**	**1014**	**747**	**60696**	**23827**	**200**	**192**	**24219**	**84915**
7.	चमोली	10956	70	28	11054	4633	10	9	4652	15706
8.	देहरादून	25223	1555	1547	28325	4970	92	124	5186	33511
9.	लैन्सडौन	14347	362	179	14888	5383	43	34	5460	20348
10.	पौड़ी	6848	92	67	7007	2961	19	22	3002	10009
11.	हरिद्वार	4674	154	405	5233	947	12	29	988	6221
12.	रुद्रप्रयाग	3570	22	15	3607	1686	4	3	1693	5300
13.	टिहरी	5006	43	41	5090	1993	5	6	2004	7094
14.	उत्तरकाशी	1083	5	15	1103	256	0	4	260	1363
कुल गढ़वाल मण्डल		**71707**	**2303**	**2297**	**76307**	**22829**	**185**	**231**	**23245**	**99552**
कुल योग उत्तराखण्ड		**130642**	**3317**	**3044**	**137003**	**46656**	**385**	**423**	**47464**	**184467**

3. **द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिक (पेन्शन न पाने वाले) एवं उनकी विधवायें** :–

(क)	पूर्व सैनिक	09
(ख)	विधवायें	679
	कुल योग	688

4. सशस्त्र सेनाओं में सेवारत सैनिक – 76000 (लगभग)
5. प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत होने वाले सैनिक – 3000 (लगभग)
6. **वीरता एवं गैर वीरता पदक विजेता**

कसं	पदक	संख्या
स्वतन्त्रता पूर्व		
1.	विक्टोरिया क्रॉस	03
2.	मिलिट्री क्रॉस	25
3.	इण्डियन ऑर्डर ऑफ मैरिट	53
4.	इण्डियन डिस्टिंग्विस्ड सर्विस मेडल	89
5.	मिलिट्री मेडल	44
6.	मैन्शन–इन–डिस्पैच	150
	कुल योग	**364**
स्वतन्त्रता पश्चात		
7.	परमवीर चक्र	01
8.	अशोक चक्र	06
9.	महावीर चक्र	13
10.	कीर्ति चक्र	32
11.	उत्तम युद्ध सेवा मेडल*	04
12.	वीर चक्र	102
13.	शौर्य चक्र	188
14.	युद्ध सेवा मेडल*	36
15.	सेना/नौसैना/वायु मैडल(वीरता)	847
16.	मैन्शन–इन–डिस्पेच	198
17.	सेना मेडल*	70
18.	परम विशिष्ट सेवा मेडल*	45
19.	अति विशिष्ट सेवा मेडल*	56
20.	विशिष्ट सेवा मेडल*	129
	कुल योग	**1727**

राज्य सरकार द्वारा देय सुविधायें

1. **वीरता पुरुस्कार ।** उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य के वीरता पदक से अलंकृत सैनिको को दी जाने वाली एक मुश्त तथा वार्षिकी में अभूतपूर्व वृद्वि कर दी गयी **है। उत्तराखण्ड राज्य अब देश में सबसे अधिक अनुदान राशि देने वाले राज्यों में एक बन गया है।** वीरता पदक पुरस्कार से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली राशि का विवरण निम्नवत है :–

2.

क्र0 सं0	वीरता पदक	एकमुश्त	वार्षिकी
(क)	परमवीर चक्र	**5000000***	**300000**
(ख)	अशोक चक्र	**5000000***	**250000**
(ग)	महावीर चक्र	**3500000***	**225000**
(घ)	कीर्ति चक्र	**3500000***	**200000**
(च)	वीर चक्र	**2500000***	**150000**
(छ)	शौर्य चक्र	**2500000***	**100000**
(ज)	सर्वोत्तम युद्व सेवा मेडल	**700000**	**60000**
(झ)	उत्तम युद्व सेवा मेडल	**500000**	**50000**
(ट)	युद्व सेवा मेडल	**400000**	**40000**
(ठ)	सेना मैडल (गैलेंट्री)	**1500000***	**50000**
(ड)	मेंशन–इन–डिस्पैच	**1000000***	**25000**

(मंत्रीमण्डल द्वारा स्वीकृत शासनादेश अपेक्षित है।)

18. **गैर वीरता पदक पुरस्कार** गैर वीरता पदक पुरस्कार से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली राशि में वृद्धि की गई है जो निम्नवत है :–

क्र0 सं0	वीरता पदक	एकमुश्त
(क)	परम विशिष्ठ सेवा मेडल	**2,00,000**
(ख)	अति विशिष्ठ सेवा मेडल	**1,50,000**
(ग)	सेना मेडल(गैर वीरता)	**1,00,000**
(घ)	विशिष्ठ सेवा मेडल	**75,000**

2. **द्वितीय विश्व युद्ध के नान–पेन्शनर सैनिकों एवं सैनिक विघवाओं की पेंशन में वृद्धि.** द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओ को जिन्हे किसी भी श्रोत से पेंन्शन नही मिल रही है। दिनांक 07 सितम्बर 2021 से पेंन्शन की राशि को ₹ 8,000/– से बढ़ाकर ₹10,000/– प्रतिमाह किया गया है।

3. **उत्तराखण्ड शहीद कोष अनुदान**. विभिन्न युद्धों व सिमान्त झडपों तथा आन्तरिक सुरक्षा में शहीद हुये सैनिकों व अर्द्ध सैनिक बलों की विधवाओं/आश्रितों को एकमुश्त ₹ 10,00,000/– अनुदान अनुमन्य है।

4. आवासीय सहायता युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाओं और युद्ध अपंगता के कारण सेवामुक्त हुए सैनिकों को आवासीय सहायता अनुदान **₹ 2,00,000/–** दिया जा रहा है ।

5 **गृह कर में छूट** । उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न नगर निगमों/नगर पालिकाओं की सीमाओं में, स्वंय के मकान में निवास कर रहे हैं, सेवानिवृत्त हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिक एवं उनकी विधवाओं को गृहकर से मुक्त करने हेतु शासनादेश जारी कर दिया गया है ।

6. **स्टाम्प ड्यूटी में छूट।** सेवारत/पूर्व सैनिकों को ₹ 25 लाख तक की स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण पर 25 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी में छूट अनुमन्य कर दी गयी है।

7. **इंजिनियरिंग एवं मेडिकल शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति।** मुख्यमंत्री कारगिल शहीद परिवार सहायता कोष से ईजीनियरिंग हेतु ₹ 12,000/– मेडिकल शिक्षा हेतु ₹ 12,000/– तथा पीएचडी शिक्षा हेतु ₹ 10,000/– प्रतिवर्ष दी जा रही है।

8. **<u>उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत आई0आई0टी0, आई0एम0ए0, एन0आई0टी0, एन0डी0ए0, मेडिकल तथा राज्य सरकार द्वारा प्रतिष्ठित अन्य व्यवसायिक एवं तकनीकी संस्थानों के छात्र/छात्रायें हेतु पुरुस्कार।</u>** आई0आई0टी0, आई0एम0ए0, एन0आई0टी0, एन0डी0ए0, मेडिकल तथा राज्य सरकार द्वारा प्रतिष्ठित अन्य व्यवसायिक एवं तकनीकी संस्थानों के छात्र/छात्रायें जो प्रदेश के स्थाई निवासी हैं, प्रत्येक को राज्य सरकार द्वारा ₹50,000/– का पुरुस्कार दिया जा रहा है। यह योजना देश व विदेश में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं पर भी लागू है।

9. **<u>उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत मेधावी छात्र/छात्राओं को विशेष आर्थिक सहायता।</u>** प्रदेश के मेधावी छात्रों को संध लोक सेवा आयेग, राज्य लोक सेवा आयोग एवं सैन्य संस्थाओं द्वारा आयेजित समूह 'क' एवं 'ख' की प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण 100 अभ्यार्थी को मुख्य परीक्षाओं/एस.एस.बी आदि द्वितीय चरण की परीक्षाओं की तैयारी हेतु कोचिंग आदि के लिए विशेष आर्थक सहायता के रुप में ₹ 50,000/– की धनराशि ।

10. **<u>शिक्षण संस्थानों में आरक्षण.</u>**

जी0 बी0 पंत विश्व विद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में Bsc Ag, Bsc Vet. B.sc Home Science, B. Tech	04 सीट।
राजकीय आई0टी0आई0	08 प्रतिशत।
राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज	02 प्रतिशत।
राजकीय पालिटेक्निक	03 प्रतिशत।
एम0बी0ए0	02 प्रतिशत।
एम0सी0ए0	02 प्रतिशत।
बी0एड0(प्रवेश परीक्षा में)	15 कृपांक अंक अतिरिक्त।
एल0एल0बी0(प्रवेश परीक्षा में)	05 कृपांक अंक अतिरिक्त
बी0टी0सी0	3 प्रतिशत।

रोजगार।

11. **शहीद सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को राज्याधीन समूह ‘ग’ अथवा ’घ’ की सेवाओं में नियुक्ति।** उत्तराखण्ड सरकार शहीद सैनिकों के परिवार के एक आश्रित को जिलाधिकारी कार्यालय में समूह ‘ग’ अथवा ‘घ’ में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति प्रदान की जा रही है।

12. राज्य सरकार की सेवाओं में समूह ‘ग’ में आरक्षण । पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार की सेवाओं में समूह ‘ग’ की रिक्तियों में 5 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य है।

13. **उत्तराखण्ड़ पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड़ (उपनल) द्वारा पूर्व सैनिकों/उनके आश्रितों को रोजगार।** उत्तराखण्ड़ पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड द्वारा पूर्व सैनिकों/उनके आश्रितों को योग्यतानुसार विभिन्न संस्थानों मे सेवानियोजित किया जाता है।

प्रशिक्षण।

14. **कम्प्यूटर प्रशिक्षण.** पूर्व सैनिकों, सैनिक विधवाओं तथा उनके आश्रितों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

15. **भर्ती पूर्व प्रशिक्षण।** जनपद देहरादून और टनकपुर में क्रमशः गढ़वाल तथा कुमाऊँ मण्डल के पूर्व सैनिकों के पुत्रों को सेना/पुलिस बलों में भर्ती हेतु 8 हफ्ते का भर्ती पूर्व प्रशिक्षण वर्ष में पाँच बार चलाया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के दौरान पूर्व सैनिकों के आश्रितों को रहने यूनीफार्म तथा भोजन की व्यवस्था निःशुल्क है।

शौर्य स्थल (सैन्य धाम) का निर्माण।

16. देहरादून के गुनियाल गांव में भव्य एवं आधुनिक सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है जिसमें शहीदों के घर–आंगन की मिट्टी का प्रयोग किया जायेगा। शौर्य स्थल का शिलान्यास दिनांक 15 दिसम्बर 2021 को मा. रक्षा मंत्री, भारत सरकार द्वारा किया गया।

सैनिक विश्राम गृह

17. वर्तमान में 36 सैनिक विश्राम गृह राज्य में संचालित है, राज्य सरकार द्वारा सैनिक विश्राम गृहों को आधुनीक तथा उच्चीकृत करने की कार्यवाही गतीमान है।

उत्तराखण्ड पुलिस एवं आर्मड फोर्सेज सहायता संस्थान द्वारा देय सुविधायें।

1. **आर्थिक सहायता ।**

(अ) युद्व में शहीद हुए सैनिकों को अनुग्रह अनुदान (अधिकारी के लिए ₹ 1.60 लाख एवं जे0सी0ओ0/अन्य रैंक के लिए ₹ 1.00 लाख)।

(ब) सेवामुक्त अपंग हुये सैनिकों को अनुग्रह अनुदान (अधिकारी ₹ 75 हजार, जे0सी0ओ0 एवं अन्य रैंक ₹ 55 हजार)।

(स) युद्ध विधवा/स्थायी रुप से युद्ध अपंग सेवामुक्त सैनिक की पुत्री के विवाह हेतु ₹ 30,000/– की आर्थिक सहायता । (केवल हवलदार रैंक तक के लिए अनुमन्य है)।

(द) जीवन निर्वाह भत्ता एक मुश्त ₹11,000/– केवल हवलदार पद तक अनुमन्य है।

(य) विशेष चिकित्सा (कैंसर, हृदय, मस्तिष्क रोग एवं प्लास्टिक सर्जरी) हेतु सरकारी अस्पताल/सेना अस्पताल/एस0जी0पी0आई0/एम्स/ आर्मी/कमांड अस्पताल में कराये गये उपचार पर हुए व्यय की75 प्रतिशत तक राशि की प्रतिपूर्ति।

2. **<u>वार्षिक शिक्षा अनुदान।</u>** उत्तराखण्ड आर्मड फोर्सेज सहायता संस्थान द्वारा युद्ध विधवा/स्थायी रुप से युद्ध अपंग सेवामुक्त सैनिकों के आश्रितों को निम्न शिक्षा अनुदान अनुमन्य है :-

(अ) कक्षा 9 से स्नातकोत्तर तक ₹ 1000/- से ₹ 1800/- तक ।

(ब) शोध कार्य हेतु ₹ 12000/-।

(स) उच्च शिक्षा के कोचिंग हेतु ₹ 2500/- ।

(द) आई0टी0आई0 हेतु ₹ 1800/-।

(य) सर्टिफिकेट/ड़िप्लोमा कोर्स हेतु ₹ 2200/-।

(र) डिग्री पाठ्यक्रम हेतु ₹ 3200/-।

(ल) एम0बी0बी0एस0, बी. टेक, एम टेक आदि कोर्स हेतु ₹ 5200/-।

(व) एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के कम्प्यूटर कोर्स हेतु ₹12000/-।

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड से मिलने वाली आर्थिक सहायता तथा सुविधायें।

1. आर्थिक सहायता

क्र.स.	मद	धनराशि	टिप्पणी
(क)	सभी वर्ग के नान–पेंशनर्स पूर्व सैनिकों हेतु पैन्यूरी ग्रान्ट (65 वर्ष की आयु से अधिक)	₹ 4000/– प्रतिमाह	नॉन– पेंशनर एवं केवल हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिकों के लिये अनुमन्य
(ख)	मेडिकल ग्रान्ट (नान–ई0सी0एच0एस0 मेम्बर हेतु)	₹ 30000/– अधिकतम	केवल हवलदार रैंक तक
(ग)	**मकान मरम्मत हेतु अनुदान** दैवीय आपदा में मकान क्षतिग्रस्त होने पर अनुदान।	₹ 20000/–	केवल हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिकों तथा सभी रैंकों की निराश्रित पुत्रीयों के लिये अनुमन्य
(घ)	विधवाओं को पूर्व सैनिक के दाह संस्कार हेतु अनुदान ।	₹ 5000/–	केवल हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिकों के लिये अनुमन्य
(च)	**विवाह हेतु अनुदान :–** पूर्व सैनिकों एवं सैनिकों की विधवाओं की दो पुत्रियों के विवाह तथा विधवाओं के पुर्नविवाह हेतु अनुदान।	₹ 50,000/–	

क.स.	मद	धनराशि (रूपये में)	टिप्पणी
(छ)	<u>**शिक्षा अनुदान**</u> (अ) स्नातक कक्षा तक पूर्व सैनिकों/ सैनिक विधवाओं के पुत्र एवं पुत्रियों हेतु।	₹ 1000/– प्रतिमाह	केवल हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिकों के लिये अनुमन्य
	(ब) विधवाओं हेतु स्नातकोत्तर कक्षा तक	₹ 1000/– प्रतिमाह	
	(स) विधवा हेतु वोकेशनल प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति (केवल एक बार अनुमन्य)	₹ 20,000/– (अधिकतम)	
	(द) एन0डी0ए0 में प्रशिक्षण के दौरान देय भत्ता	₹ 1000/– प्रतिमाह	
(ज)	<u>**निराश्रित अनुदान (वार्षिकी)**</u> :– (अ) सभी वर्गो के पूर्व सैनिकों की अनाथ पुत्रियों हेतु अनुदान (विवाह होने तक या 21 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो) । (ब) पूर्व सैनिक के 100 प्रतिशत विकलांग बच्चों हेतु अनुदान ।	₹1000/– प्रतिमाह ₹3000/– प्रतिमाह	सभी रैंक के पूर्व सैनिकों के लिये अनुमन्य।

क.स.	मद	धनराशि (रूपये में)	टिप्पणी
(झ)	**<u>प्रधान मंत्री छात्रवृत्ति योजना।</u>** इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेन्टल, वेटरिनरी, एम.बी.ए., एम.सी.ए. फार्मा, नर्सिंग, बी. एड., एम.एड.,बी.पी.एड., एम. पी.एड., यू.जी./ पी.जी. फिजीयोथेरेपी व लॉ इत्यादि हेतु।	₹ 2500/– प्रतिमाह (लड़कों हेतु)। ₹ 3000/– प्रतिमाह (लड़कियों हेतु)।	अभ्यर्थी का 12वीं की परीक्षा में 60 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
(ट)	**<u>विशेष चिकित्सा सहायता।</u>** नॉन–पेंशनर अधिकारी एवं अन्य वर्ग हेतु (हदय, रोज, ज्वाइन्ट रिप्लेसमेन्ट) हेतु एकमुश्त अनुदान।	अधिकारी वर्ग हेतु कुल खर्च का 75 प्रतिशत तथा अन्य रैंक हेतु 90 प्रतिशत। अधिकतम ₹1,25,000/–	समस्त रैंक हेतु अनुमन्य।
(ठ)	**<u>नॉन पेन्सनर चिकित्सा सहायता</u>** नॉन–पेंशनर अधिकारी एवं अन्य वर्ग के पूर्व सैनिकों को डयलिसिस, कैन्सर के इलाज हेतु एकमुश्त अनुदान।	अधिकारी वर्ग हेतु कुल खर्च का 75 प्रतिशत तथा अन्य रै।क हेतु 90 प्रतिशत। अधिकतम ₹75,000/–	समस्त रैंक हेतु अनुमन्य।

(ड)	**मोबिलिटि इक्विमेन्ट सहायता।** पूर्व सैनिक जो सेवा मुक्ति के बाद पचास प्रतिशत से अधिक (लोवर लिम्ब) की अपंगता के कारण चलने फिरने में असमर्थ हों सहायता प्राप्त करने हेतु सैन्य चिकित्सालयों/ राजकीय चिकित्सालयों से सी.एम.ओ. द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्राप्त हो को मोडिफाईट स्कूटर क्रय करने हेतुनुदान ।	अधिकतम ₹ 57,500/–	समस्त रैंक हेतु अनुमन्य ।

अन्य सुविधायें

2. रेल यात्रा में छूट।

(क) परमवीर चक्र, महावीर चक्र,अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र से अंलकृत सैनिकों व विधवाओं को द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित यान में मुफ्त रेल यात्रा। अब यह राजधानी व शताब्दी गाडियों मे भी मान्य।

(ख) कारगिल व आई0पी0के0एफ0 के शहीद सैनिकों की विधवाओं को स्लीपर क्लास यान से यात्रा में 75 प्रतिशत छूट।

3. वायु यात्रा में छूट।

(क) परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, विक्टोरिया क्रॉस, जार्ज क्रॉस, डिस्टिंग्वीस्ड सर्विस कॅास, मिलिट्री कॅास, डिस्टिंग्विस्ड फलाईगं कॅास व जार्ज मेडल से अंलकृत सैनिकों व विधवाओं को 75 प्रतिशत की छूट।

(ख) युद्ध अपंग सेवामुक्त अधिकारी व आश्रित सदस्य को 50 प्रतिशत की छूट।

(ग) स्वतंत्रता पूर्व की युद्ध विधवाओं को 50 प्रतिशत की छूट।

4. **<u>टेलीफोन सुविधा</u>।** पंजीकरण व स्थापना शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट । निम्नलिखित वीरता पदक से अलंकृत सैनिकों/ विधवाओं को साधारण किराये में पूरी छूट :–

(क) परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र।

(ख) युद्ध विधवायें।

(ग) युद्ध अपंग सैनिक।

5. **<u>आ.आई.टी. में प्रवेश</u>।** संयुक्त प्रवेश परीक्षा के उपरान्त मुम्बई, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, रूड़की, बी.एच.यू., आई.टी. संस्थानों में प्रत्येक संस्थान में दो सीट में प्राथमिकता पर प्रवेश।

6. **<u>एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. में प्रवेश</u>।** वर्तमान में 30 सीटें एम. बी.बी.एस. व 1–3 (स्वाथ्य मंत्रालय द्वारा आवंटीत सीटों के आधार पर) बी.डी.एस. में आश्रितों के लिये निम्नलिखित प्राथमिकता के आधार पर आरक्षित हैंः–

(क) युद्ध में शहीद ।

(ख) युद्ध अपंग एवं अपंगता के कारण सेवामुक्त।

(ग) सेवाकाल के दौरान सैन्य सेवा के कारण मृत्यु होने वाले सैनिक के आश्रित ।

(घ) सेवाकाल के दौरान अपंगता के कारण सेवामुक्त सैनिक के आश्रित । (ङ) वीरता पदक प्राप्त सैनिक के आश्रित ।

उत्तराखण्ड सैनिक पुनर्वास संस्था द्वारा पूर्व सैनिकों, सैनिक विधवाओं एवं उनके आश्रितों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता/अनुदान।

1. सामान्य छात्रवृत्ति।

क0सं0	शिक्षा	अंक प्रतिशत	प्रतिवर्ष धनराशि
(क)	**सामान्य शिक्षा**		
	कक्षा 11 व 12 हेतु	पहाड़ी क्षेत्र हेतु 50 तथा मैदानी क्षेत्र हेतु 60 प्रतिशत	₹ 3,000/–
	स्नातक कक्षाओं हेतु		₹ 4,000/–
	स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु		₹ 5,000/–
	पी.एच.ड़ी.,एम0फिल0 हेतु।		₹ 10,000/–
(ख)	**तकनीकी/व्यवसायिक शिक्षा सर्टिफिकेट कोर्स** फिटर, वैल्डर, टर्नर, इलैक्ट्रीशियन/इलैक्ट्रॉनिक, वायरमैन, मैकेनिक, कटाई एवं सिलाई, प्लम्बर, ड्राफ्टमैन, पेन्टर, सर्वेयर, मोल्डर, हैन्डीक्राफ्ट एवं आफिस ऑटोमेशन, स्टेनोग्राफी, हिन्दी ट्रान्सलेटर, डी0ई0ओ0 एवं सैक्रेट्रियल कोर्सेज।	60	₹ 4,000/–
(ग)	**डिप्लोमा कोर्सेज** माडर्न आफिस मैनेजमैन्ट, इन्फार्मेशन टैक्नोलोजी, कम्प्यूटर नैटवर्किंग एवं कम्यूनीकेशन, पॉलीटैक्निक कोर्सेज, व सैक्रेट्रियल डिप्लोमा कोर्सेज ।	65	₹ 5,000/–

(घ)	**डिग्री कोर्सेज** बीएड / बीपी0एड / एमएड / एमपीएड बी.एस. सी. / एम.एस.सी. (कृषि / हार्टीकल्चर / होम साइन्स), फौरेस्ट्री, होस्पीटेलिटी इन्डस्ट्री, फारमेसी, नर्सिंग कोर्सेज, वैटनरी, बी. फार्मा / डी. फार्मा / एम. फार्मा, जर्नलिज्म, सी.ए., एल.एल.बी. / एल.एल.एम. ,बायोटेक्नोलोजी, फिजियोथैरेपी, फैशन डिजाइन टैक्नोलोजी, बी. एच.एम.(सी.टी.) / टूरिज्म / ट्रैवल, बी.बी.ए. / एम.बी.ए., बी.सी.ए. / एम. सी.ए., पी.जी.डी.एम.।	70	₹ 8,000 / –
(ङ)	इंजीनियरिंग कोर्स हेतु।	70	₹ 12,000 / –
(च)	मेडीकल कोर्स हेतु।	70	₹ 15,000 / –

2. **पूर्व सैनिकों के अनाथ तथा सैनिक विधवाओं के पात्रों हेतु छात्रवृत्ति**। पूर्व सैनिकों के अनाथ पुत्र / पुत्रियों तथा पूर्व सैनिक विधवाओं के पुत्र / पुत्रियों को कक्षा 1 से कक्षा 12 तक निम्नलिखित छात्रवृति अनुमन्य होगी बशर्ते कि उन्हें किसी अन्य संस्थानों से इस हेतु आर्थिक सहायता / छात्रवृति प्राप्त नहीं की जा रही हो:–

कक्षा 1 से कक्षा 8 तक	33	₹ 6,000 / –
कक्षा 9 से स्नातकोत्तर तक	33	₹ 10,000 / –

3. **<u>मेधावी विद्यार्थियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति</u>।** पूर्व सैनिक एवं सैनिक विधवाओं के मेधावी आश्रित जो केवल सामान्य शिक्षा में अव्वल हो को निम्नवत छात्रवृत्ति अनुमन्य होगी जिससे इन छात्रों/छात्राओं का मनोबल बढे और अन्य छात्र/छात्राओं को भी प्रोत्साहन मिले :–

कक्षा	धनराशि
कक्षा 10 में 80 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर कक्षा 11 व 12 के लिए (कक्षा 11 में भी 80 प्रतिशत अनिवार्य)	₹ 12,000/–
कक्षा 12 में 80 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर स्नातक कक्षाओं के लिए (स्नातक प्रथम व द्वितीय में भी 80 प्रतिशत अनिवार्य)	₹ 15,000/–
स्नातक में कुल 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर स्नात्कोत्तर कक्षाओं हेतु (स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में भी 70 प्रतिशत अनिवार्य)	₹ 18,000/–

4. **<u>सैनिक स्कूल/मिलिट्री स्कूल/आरआईएमसी में अध्ययन/शिक्षण प्राप्त कर रहे पात्रों को प्रोत्साहन अनुदान</u>।** सैनिक स्कूल/मिलिट्री स्कूल एवं आरआईएमसी में अध्ययन/शिक्षण प्राप्त कर रहे पूर्व सैनिको एवं सैनिक विधवाओं के पात्रों को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश करने पर कोचिंग व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु एक मुश्त **₹ 20,000/– का** प्रोत्साहन अनुदान प्रदान किया जायेगा।

5 **<u>एनडीए, आईएमए, ओटीए, एयर फोर्स अकादमी, नेवल अकादमी, सिविल सेवा, पीसीएस, एमबीबीएस, आईएचएम,, आईआईटी, आईआईएम में चयन होने पर कोचिंग व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान</u>।** एनडीए, आईएमए, ओटीए, एयर फोर्स अकादमी, नेवल अकादमी, सिविल सेवा, पीसीएस, एमबीबीएस, आईएचएम, आईआईटी, आईआईएम में चयन/संस्थान में प्रवेश करने पर पूर्व सैनिकों एवं सैनिक विधवाओं के आश्रितों को कोचिंग व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु एक मुश्त ₹ 20,000/– अथवा व्यय की गयी धनराशी जो भी कम हो का अनुदान प्रदान किया जायेगा।

6. **युद्व विकलांग पूर्व सैनिकों को प्रशिक्षण हेतु अनुदान**। राज्य के युद्व विकलांग पूर्व सैनिकों को मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों से रोजगारपरक तथा कौशल विकास परक कोर्स करने हेतु कुल व्यय अथवा ₹ 20,000/– जो भी कम हो का अनुदान प्रदान किया जायेगा।

7. **पूर्व सैनिक आश्रितों के खेलों में चयन होने पर प्रोत्साहन अनुदान**। राज्य के पूर्व सैनिकों/सैनिक विधवाओं के बच्चों को खेलों के प्रति आकर्षित किये जाने हेतु प्रदेश, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर में चयन होने पर निम्नवत् प्रोत्साहन राशि अनुमन्यः–

(अ) प्रदेश स्तर पर - ₹ एक लाख

(ब) राष्ट्रीय स्तर पर - ₹ दो लाख

(स) अन्र्तराष्ट्रीय स्तर पर - ₹ चार लाख

8. **सेना, अर्द्धसैनिक बल, सीपीओज तथा राज्य पुलिस में चयन होने पर अनुदान।** सैनिक कल्याण विभाग द्वारा संचालित भर्ती पूर्व प्रशिक्षण से प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त सेना, सीपीओज, अर्द्धसैनिक बल तथा राज्य पुलिस में चयन होने पर एकमुश्त ₹ 20,000/– का अनुदान अनुमन्य है।

9. **चिकित्सा ब्यय प्रतिपूर्ति. ।** सेना द्वारा पूर्व सैनिकों हेतु ''पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना'' चलाये जाने के उपरान्त यह योजना केवल पेंशन अनुमन्य नही होने वाले पूर्व सैनिक/सैनिक विधवाओं पर निम्नवत लागू है :–

(अ) सामान्य चिकित्सा। – ₹ 10,000/–

(ब) विशेष चिकित्सा। – कुल व्यय का अधिकतम 75 प्रतिशत या ₹ 1,00,000/– जो भी कम हो आर्थिक सहायता दी जायेगी ।

10. **<u>पूर्व सैनिकों द्वारा पुनर्वास हेतु लिए गए ऋण में अनुदान</u>**।पूर्व सैनिक/अधिकारी द्वारा अपने पुनर्वास हेतु लिए गए ऋण पर निम्न अनुदान देय है :–

(अ) ₹ 5,00,000/– तक के ऋण का 10 प्रतिशत अनुदान देय होगा।

(ब) ₹ 5,00,000/– से ऊपर तथा ₹ 10,00,000/– लाख तक के ऋण पर पांच प्रतिशत अनुदान।

11. **<u>पूर्व सैनिक की विधवाओं की पुत्रियों एवं पूर्व सैनिकों की अनाथ पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता ।</u>** पूर्व सैनिकों की विधवाओं की पुत्रियों/पूर्व सैनिकों की अनाथ पुत्रियों (दो पुत्रियों तक) की शादी हेतु ₹ 1,00,000/– की धनराशि का एकमुश्त अनुदान अनुमन्य है।

12. **<u>पूर्व सैनिक विधवाओं के पुनर्विवाह हेतु अनुदान।</u>** पूर्व सैनिक की विधवाओं के पुनर्विवाह करने पर ₹ 1,00,000/– की धनराशि पुनर्वास संस्था द्वारा आर्थिक सहायता के अन्तर्गत एकमुस्त प्रदान की जायेगी। यह धनराशि विधवा के नाम पर पांच वर्ष हेतु एफ0 डी0 के रूप में प्रदान की जाती है।

13. <u>पूर्व सैनिकों को व्हील चेयर की सहायता।</u> अपंग पूर्व सैनिकों को उनके आवेदन के आधार पर व्हील चेयर संस्था कार्यालय द्वारा जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है।

14. **<u>पूर्व सैनिकों की विधवाओं को सिलाई/बुनाई मशीन की सहायता।</u>** पूर्व सैनिक की विधवाओं को स्वरोजगार हेतु सिलाई मशीन क्रय करने के लिए ₹ 3,000/– एवं बुनाई मशीन क्रय करने के लिए ₹ 3,500/– का अनुदान अनुमन्य है।

15. **दैवीय आपदा अनुदान ।** पूर्व सैनिकों एवं सैनिक विधवाओं को दैवी आपदा जैसे "भूकंप, भूस्खलन, अग्नि कांड, बाढ़ से निजी आवासीय घर जिसमें वह स्वंय वास करते हों, के 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति पर, आंशिक प्रतिपूर्ति हेतु एकमुश्त ₹ 50,000/– की आर्थिक सहायता दी जाती है, बशर्ते उन्हें किसी अन्य श्रोतों से उक्त आपदा हेतु कोई आर्थिक सहायता प्राप्त न हुई हो।

16 **प्री–कम–पोस्ट रिलीज ट्रेनिंग हेतु छात्रवृत्ति ।** इस योजना के अन्तर्गत सेना में कार्यरत सैनिकों को प्रशिक्षण हेतु सेना से सेवानिवृत्त होने की तिथि से एक वर्ष/छह माह पूर्व ही आई.टी.आई. में प्रशिक्षण दिया जाता है, जहॉ पर प्रशिक्षण के समय उनकी सेवानिवृत्त की तिथि तक प्रशिक्षण शुल्क डी0जी0आर, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा भुगतान किया जाता है । अगर यह प्रशिक्षण उनके सेनानिवृत्त होने के पश्चात भी जारी रहता है तो ऐसे पूर्व सैनिकों को संस्था द्वारा ₹ 500/– प्रतिमाह छात्रवृत्ति के रूप में दी जायेगी ।

17 **अन्य सहायता।** सैनिक पुनर्वास संस्था, उत्तराखण्ड द्वारा जो भी प्रदेश निवासी अपंग पूर्व सैनिक या उनकी पत्नियॉ, भारत सरकार के संरक्षण में पुनर्वास हेतु चलाये जाने वाली संस्थाओं में प्रशिक्षण, स्वास्थ्य लाभ या पूर्ण रूप से वही वास कर रहे हो को, भरण पोषण हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों को प्रतिवर्ष निम्नवत अनुदान प्रदान किया जाता है:–

(अ) पैराप्लेजिक रिहेविलिटेशन केन्द्र, मोहालीं – ₹ 1,00,000/–प्रति पात्र

(ब) पैराप्लेजिक रिहेविलिटेशन केन्द्र, किरकी – ₹ 1,00,000/–प्रति पात्र

18. **जिला सैनिक कल्याण परिषद बैठक हेतु धनराशि।** पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों की समस्याओं के समाधान हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिला सैनिक कल्याण परिषद की बैठकों के आयोजन हेतु ₹ 5,000 प्रति बैठक की धनराशि अनुमन्य है।

शहीद सम्मान यात्रा

उत्तराखण्ड का पंचम धाम–सैन्यधाम
शौर्य स्थल
(लागत:– ₹ 6302.98 लाख)
का
''भूमि पूजन''
श्री राजनाथ सिंह
मा० रक्षा मंत्री, भारत सरकार
श्री पुष्कर सिंह धामी
मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार
व
श्री अजय भट्ट
मा० रक्षा राज्य मंत्री, भारत सरकार
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह
मा० सांसद, टिहरी लोकसभा क्षेत्र
एवं
श्री गणेश जोशी
उत्तराखण्ड सरकार
डॉ० आर० राजेश कुमार
एल. फैनई

निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास

15–सी कालीदास मार्ग, हाथीबड़कला, देहरादून
दूरभाष : 0135–2741481, फैक्स : 0135–2743773,
ईमेल: dir-soldierwel-Uk@nic.in
वेबसाईट : www.sainikkalyan.org